हिमालयी जन घोषणापत्र

हिमालयी नीति का प्रारूप

हम इस प्रारूप को इस विश्वास के साथ हिमालय दिवस 9 सितम्बर 2010 को जारी कर रहे हैं कि आगामी एक वर्ष तक इस प्रारूप पर व्यापक संवाद व बहस हो सके। व्यापक स्तर में किए गए बहस के बाद, इसे 9 सितम्बर 2011 को हिमालय की जनता की ओर से देश व दुनियां के विभिन्न आन्दोलन समुहों, बुद्धिजीवियों, विभिन्न राजनैतिक दलों, सरकारों, शोध संस्थाओं व विचारकों के समक्ष रखा जाएगा।

9 सितम्बर 2010 – हिमालय दिवस के अवसर पर
गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

हिमालयी जन घोषणा पत्र का प्रारूम अलग–अलग समय पर अलग–अलग साथियों व संगठनों द्वारा लिखे गये दस्तावेजों व प्रारूपों के आधार पर संकलित किया गया, इसे पूरी समग्रता व व्यापक नजरियें से लिखे जाने की आवश्यकता है, इस प्रारम्भिक प्रारूप को आधार बनाकर वर्ष भर हिमालय व देश के विभिन्न संस्थानों, आन्दोलन समूहों, राजनैतिक दलों, नागरिक समाज के संगठनों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जायेगा, यह प्रारूप सबके सुझावों प्रस्तावों के लिए खुला हैं।

प्रमाण सहित!

सहभागी संगठन : ग्रांधी शांति प्रतिष्ठान, हरित स्वराज अभियान, नदी बचाओ अभियान, हिमालय सेवा संघ, सैडेड, हिमालय नीति संवाद, हिमालय बचाओ–हिमालय बसाओ अभियान, हिम नीति अभियान, म्यर पहाड़, लोकायन, जन पक्ष आजकल, प्रवासी नेपाली एकता मंच, जन संपर्क समिति (नेपाल), पर्वतीय लोक विकास समिति, हेस्को, हिमकोन, हिमालयी पर्यावरण संरक्षण जन अभियान, उत्तराखण्ड सर्वोदय मण्डल, लक्ष्मी आश्रम कौसानी, पर्वतीय बाल मंच, उत्तराखण्ड महिला समाख्या, परिवर्तन पार्टी, हिमालय ट्रस्ट, रक्षा सूत्र आन्दोलन, अर्थ ट्रस्ट,

हिमालयी जन घोषणापत्र–हिमालयी नीति का प्रारूप

हिमालय भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया के विशाल मैदानों, नदियों तथा संपन्न मानव समाजों का निर्माणकर्ता और उनका रक्षक रहा है। आज भी वह भारत सहित कई देशों को कुल मीठे पानी की मांग का 40 प्रतिशत तक देता है तथा वही हमारी शुद्ध वायु (ऑक्सीजन) का भण्डार है। इसी पर्वत श्रृंखला द्वारा दिये गये जल और मिट्टी से जम्मू–कश्मीर, पंजाब–हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा उत्तर पूर्वी सातों राज्यों सहित बांग्लादेश व पाकिस्तान अर्थात लगभग सारा उपमहाद्वीप समृद्ध हुआ है। इस प्रकार हिमालय इस सारे विशाल क्षेत्र को जीवन देने व यहां की जलवायु को संतुलित करने वाला है। यह हमारी व विश्व की साझी विरासत है। दुःख है कि वर्तमान विकास की उपभोगवादी अवधारणा के चलते हिमालय की उक्त भूमिका को एक सिरे से नकार दिया गया है और यह भी भुला दिया गया है कि हिमालय, विश्व का एक शिशु पर्वत है और इसकी रचना अभी भी बहुत संवेदनशील व नाजुक है। ऐसी स्थिति में उसकी रचना व पर्यावरण से छेड़–छाड़ करना घातक है।

यह महान् पर्वत कई देशों की सीमाओं को छूता है और एक बड़े भू–भाग की जलवायु का नियमन करता है। भौतिक समृद्धि के स्रोत के अलावा यह सांस्कृतिक प्रेरणा एवं भावनात्मक एकता का प्रतीक है। सम्पूर्ण मानव–जाति के लिए हिमालय आध्यात्मिक प्रेरणा और शान्ति का स्रोत रहा है। लेकिन आज वही हिमालय पर्वत परिस्थितिकीय संकट, विकास की गलत नीतियों के फलस्वरूप असन्तोष और अशांति का केन्द्र बन गया है। जो कि जागतिक चिन्ता का विषय है।

जन साधरण की चेतना में हिमालय का अर्थ केवल नदी, पर्वत, और पेड़ों से ही होता है जबकि वास्तव में हिमालय अफगानिस्तान से लेकर वर्मा तक फैला हुआ है जिसमें कई जड़ी–बूटियां, जल स्रोत, जंगली जानवरों आदि के साथ करोड़ों लोगों का निवास स्थान भी है और जो वहाँ की विकट भौगोलिक परिस्थितियों में अपना जीवन जी रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में लोकतंत्र के संघर्ष, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के जनान्दोलन, राष्ट्रराज्यों के आपसी संघर्ष व मनमुटाव, राजनैतिक अलगाव व दमन जैसे संघर्षों ने विगत 4–5 दशकों में इस पूरे

क्षेत्र को एक छद्मयुद्ध का मैदान बना दिया और इसका सबसे बड़ा कारण हमारे राष्ट्र राज्यों ने इस विशिष्ट भौगोलिक इकाई के लिए कोई पृथक विकास की योजना नही बनाई।

इस पूरे क्षेत्र के पर्यावरणीय लोकतन्त्र व समाज को बचाने हेतु पृथक हिमालयी योजना की अनिवार्यता है। इस हेतु हम सभी हिमालय व गैर हिमालय वासी इसके संरक्षण व संवर्धन हेतु एकजुट होकर प्रयासरत रहने का संकल्प दोहराते हैं तथा इस प्रस्तावित हिमालयी जन 'घोषणा पत्र' के माध्यम से यहाँ की सरकारों, राजनैतिक दलों, शोध संस्थाओं तथा आम जनता के साथ संवाद आयोजित करना चाहते हैं, इस संवाद के माध्यम से जो प्रस्ताव, सुझाव सामने आयेंगे उनको इस प्रस्तावित जनघोषणा में शामिल किया जायेगा। 9 सितम्बर 2010 से 9 सितम्बर 2011 तक सतत संवाद के माध्यम से इस 'घोषणा पत्र' को समृद्ध व व्यापक बनाने का काम लगातार जारी रहेगा।

वर्तमान में मौजूद भोगवादी सभ्यता की बुनियाद पर आधारित नीतियों ने जल, जंगल और खनिज सम्पदाओं का शोषण करने की गति को तीव्र कर दिया है इसीलिए हम इस घोषणा पत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं।

1. हिमालय में छोटी–बड़ी प्रस्तावित बाँध परियोजनाएं हमारी चिन्ता का विषय हैं; इनमें से कुछ पर तो अनुसन्धान चल रहा है। ऐसी सभी योजनाओं का उद्देश्य यहाँ के परिवेश को बिगाड़ कर और लोगों को उजाड़ कर, बड़े उद्योगों, नगरों और सम्पन्न क्षेत्रों को बिजली, पानी (वह भी क्षणिक लाभ के लिए) पहुँचाना है। इस क्षेत्र से जीने के लिए अनिवार्य 'जल' जैसे साधनों का निर्यात क्षेत्रीय असन्तुलन को बढ़ाने वाला एवं अन्यायपूर्ण कदम है। यह एक कानूनी डकैती है जिसे रोकना हर नागरिक का पहला कर्त्तव्य है।

2. विकास के नाम पर चलने वाली घातक प्रवृत्तियों, वनों का व्यापारिक शोषण, खनन और धरतीं को डुबाने व लोगों को उजाड़ने वाले बांधों, धरती को कम्पायमान करने वाले भयंकर यान्त्रिक विस्फोटों, जैसी घातक प्रवृत्तियों के कारण हिमालयवासियों के सामने जिन्दा रहने का संकट पैदा हो गया है। हम हिमालयवासियों, हिमालय प्रेमियों

और मानव–जीवन की गरिमा पर विश्वास रखने वालों का अपने जिन्दा रहने के अधिकार की रक्षा के लिए, इनका डटकर विरोध करने के लिए आह्वान करते हैं। संकटग्रस्त हिमालय की रक्षा के लिए नयी और दीर्घकालीन हिमालय नीति की आवश्यकता है इसके पर्यावरणीय व सामाजिक परिवेश को बचाने तथा सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक घरोहरों का लोकतांत्रिक परम्परा से इस्तेमाल करने एवं यहाँ के निवासियों के विकास के लिए तत्काल कदम उठाये जायें –

3. अब तक सभी प्रकार की असिंचित ढालदार भूमि का, चाहे वह संरक्षित वन हो या सामूहिक अथवा निजी वन हों, उनका भूमि उपयोग सर्वेक्षण करवाकर पानी की व्यवस्था की जाये जिससे फल, चारा व रेशा प्रजाति के पौधों के रोपण की बृहद योजना बने। वृक्षों की पैदावार देने तक लोगों को इनको लगाने व देखभाल के लिए रोजगार दिया जाये। ये सारे वृक्ष लोगों की निजी संपत्ति होंगें और अनन्त काल तक उन्हें रोजगार देकर अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनायेंगे। मैदानी क्षेत्रों के लिए पहाड़ों से निरन्तर उपजाऊ मिट्टी मिलेगी। नदियों का बहाव स्थिर होगा और जल समस्या हल होगी।

4. तीर्थ–यात्रियों, प्रकृति–दर्शन एवं शांति की खोज में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए पहाड़ी शैली में छोटे–छोटे आवास–गृह बनाने के लिए स्थानीय लोगों को उदार सहायता प्रदान की जाये। सौंदर्य–स्थलों का संरक्षण और उनकी ओर जाने वाले पैदल मार्गों का सुधार एवं रखरखाव किया जाये।

5. इस चिन्ता के अतिरिक्त हमारी चिन्ता उन ग्लेशियरों के लिये भी है जो तेजी से घटते जा रहे हैं और जो गंगा, यमुना, सिन्धु, सतलुज जैसी हमारी विशाल नदियों के जल भण्डार रहे हैं। प्रतिवर्ष यहां के भूमिगत जल भण्डार को भरने वाली वर्षा और वर्फबारी की मात्रा भी घटती जा रही है। हिमालय के जल स्रोत, झरने, झीलें बर्फानी व गैरबर्फानी नदियां सूखती जा रही हैं। जिनके कारण करोड़ों उत्तरभारतीय और हिमालय वासियों की आजीविका समाप्त होने की कगार पर आ सकती है।

6. हिमालय के पर्यावरण संतुलन की गिरती स्थिति के साथ यहां के जन समुदायों के प्राकृतिक सम्पदाओं पर जो स्वामित्व तथा उनके प्रबंधन व उपयोग करने के जो अधिकार थे व क्रमशः छिनते गये हैं जिससे इनका जीवन कठिन से कठिनतर होता जा रहा है। इस कारण हिमालय के कुछ क्षेत्रों से जन पलायन बढ़ता जा रहा है।

7. हिमालय की इन समस्याओं का कारण वर्तमान उपभोग प्रधान विकास नीति रही है। अतः हमारा निवेदन है कि अतुलनीय सौन्दर्य तथा आधायत्म तथा आस्था के धनी हिमालय क्षेत्र जो कि जल, जंगल व जमीन का रक्षक भी है, को व्यवसायी दोहन से मुक्त किया जाए। आध्यात्म, आस्था व देश का जलवायु संतुलन बनाए रखने वाली उसकी भूमिका को सर्वोपरी महत्व देकर उसके अनुरूप हिमालय की एक भिन्न व समग्र नीति निर्धारित की जाए; जिससे यहां के निवासी अपने जल, जंगल, जमीन, नदियों, पहाड़ों व जीव–जन्तुओं के साथ संतुलित सहअस्तित्व के साथ जी सकें। वास्तव में हिमालय के सरोकार अर्थात यहां का सौन्दर्य, आध्यात्म व इसकी असीम सम्पदा, सम्पूर्ण भारत व विश्व की साझी चिन्ता होनी चाहिए।

8. हिमालय की प्राकृतिक सम्पदा के द्वारा व्यवसायीकरण की कोई प्रवृति नहीं चलाई जाए। समृद्ध प्रकृति की मैत्री में यहां के निवासी श्रमशील, प्रतिष्ठापूर्ण, सम्यक जीवन जी सकें, इसके लिये 'काश्तकारी' यहां की आजीविका का मुख्य स्रोत माना जाये न कि भारी उद्योग। काश्तकारी को अधिक से अधिक सक्षम बनाने के लिये विशेष कुशलताओं को बढ़ाने के विभिन्न प्रयास सरकार की ओर से होने चाहिए। इसमें कृषि, बागवानी, जड़ी–बूटी उत्पादन, फूलों की खेती, पशुपालन, मधुमक्खी पालन व इनके मूल्य वर्धनकारी कार्यक्रम समाहित हों। 'काश्तकारी' की पूरक व्यवस्था के रूप में कुटीर व लघु उद्योग हों व उन्हें विशेष संरक्षण दिया जाय।

9. हिमालय भारी उद्योगों, जल, जंगल, जमीन व यहां की प्रकृति के साथ छेड़–छाड़ व उनका शोषण करने वाली जल विद्युत परियोजनाओं, व्यवसायिक खनन उद्योगों तथा विभिन्न प्रकार की व्यापारिक क्रियाओं आदि से मुक्त हो।

10. जल, जंगल व जमीन पर यहां के काश्तकार व जन समुदायों का स्वामित्व हो व उनकी आजीविका संबंधी उपयोग, प्रबंधन व नियोजन करने का उन्हें पूर्ण अधिकार हो। कृषि योग्य भूमि का किसी अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग सरकारी व सामुदायिक अनुशासन के अन्तर्गत प्रतिबंधित हो अथवा विशष सर्वहितकारी कार्य के लिये पूरे ग्राम समुदायों की सम्पूर्ण सम्मति अनिवार्य हो।

11. हिमालयी आरक्षित वनों के लिये एक विशेष कार्य–नीति बनें जैसे कि यहां की ऊंची चोटियां पूरी तरह चौड़ी पत्ती प्रजाति के वृक्षों से डेढ़–दो किलोमीटर की दूरी तक ढक दी जाय। चीड़ (पाइन) वृक्षों को दो किलोमीटर से नीचे तक धीरे–धीरे हटा

दिया जाय। वे पर्वतों के निचले भाग में मिश्रित वनों के रूप में सीमित रहें क्योंकि नदियों के जल प्रवाह को बढ़ाने व वायु मण्डल में नमी बढ़ाकर वर्षा व बर्फबारी के लिये अनुकूल स्थितियां पैदा करने के लिये यह आवश्यक है। इस कार्य नीति पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जाय इसके अलावा सम्पूर्ण वन विभाग का पुनःप्रशिक्षण परम्परागत वनों की संरक्षण विधा पर होना चाहिए और वनों का व्यवसायिक दोहन बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

12. ढांचागत विकास करते समय स्थानीय भू–आकृतियों तथा पर्यावरणीय स्थितियों व जन–जीवन को ध्यान में रखते हुए अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल किया जाय। जैसे– सड़कों का निर्माण, बायोइन्जीनियरिंग अथवा (Green Road Concept) के अनुसार किया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में रज्जु मार्ग व वायु मार्ग को प्राथमिकता दी जाए।

13. हिमालय की तराई में नगरीकरण व उद्योगीकरण की अनुमति न दी जाय। उसके लिए कृषि के साथ वनीकरण की विशेष योजना बने, जिससे हिमालय को बढ़ती गर्मी से बचाने के लिये एक हरित पट्टी (Green Belt) बन सके।

14. हिमालय क्षेत्र में 'सेज' (SEZ) तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों के आरामगाहों के लिये भूमि की खरीद–फरोख्त पर प्रतिबंध के लिये कड़े कानून बनाये जाय।

15. अन्तर्राष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग के अनुबंधों से हिमालय क्षेत्र को मुक्त रखा जाय।

16. जलवायु–परिवर्तन व वैश्विक तापमान बृद्धि से हिमालय क्षेत्र में पड़ रहे प्रभावों का व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाय ताकि स्थिति की गम्भीरता समझकर उसके निराकरण के ठोस व प्रकृति आधारित उपाय किये जा सकें।

17. हिमालय पर्वत अपने आप में विभिन्न देशों अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व म्यांमार की लम्बी सरहदों को समेटे हुऐ है। इसलिये इन क्षेत्रों के प्रत्येक निवासी के लिये स्थानीय सम्मानपूर्ण रोजगार, सन्तुलित पोषक आहार व निवास की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवायें व उनके जीवन के लिये उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था हो तो हिमालय क्षेत्र में रहने का आकर्षण बना रहेगा और वह यहां से लोगों के पलायन को रोकने का एक अच्छा उपाय होगा। रोजगार के अवसर कृषि वनाधारित लघु उद्योग के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण व वस्त्र उत्पादन, जैसे अन्य कार्य हो

सकते हैं। जहां आवश्यक हो लोगों के हुनर व कला–कौशल–संवर्धन के लिये प्रशिक्षण की जरूरत होगी। ये प्रशिक्षण संस्थानों की चारदीवारों के भीतर नहीं वरन् क्षेत्र में उस जगह पर हों जहां काम को सफल होना है। प्रशिक्षण तब तक चलता रहे, जब तक वह यूनिट सफल न हो जाय। ये सभी कार्य पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए तथा हिमालय क्षेत्र के विनाश की कीमत पर आधारित कोई आर्थिक विकास न हो। उत्पादन अधिक से अधिक लोगों (बहुजनों) के द्वारा हो न कि अधिक मात्रा में उत्पादन हो। वो 'Production by the masses not the mass production' को चरितार्थ करे।

18. हिमालयी क्षेत्र के लिये एक ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो लोगों को उनकी स्थानीय परम्परागत बन्दोवस्तों से जोड़े रह सके, न कि उनके प्रति उपेक्षा व अलगाव पैदा करने वाली हो और न ही लोगों को उनकी संस्कृति से अलग–थलग करती हो। वहां के स्थानीय लोगों को परम्परागत अनुभवों से ज्ञान प्राप्त हुआ है जो कि जीवन के हर काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हिमालयी शिक्षा नीति में का यह अभिन्न भाग होना चाहिए। वहां दी जाने वाली ज्ञान–व्यवस्था स्थानीय लोगों के जीवन के हर अंग जैसे– पानी, भूमि, वन, व मानव के आपस में सम्बंध, उनका स्वास्थ्य, उनके मिथक व कर्मकाण्ड।

19. सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र के लिये एक कचरा प्रबंधन नीति बनाने की आवश्यकता है ताकि यहां के जल स्रोतों को व पर्वतीय ढलानों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।

भारी व विषैले तत्वों वाले कचरे की जलागम क्षेत्रों में उपस्थिति तथा यहां बन रहे नगरों की स्वच्छता व मलमूत्र निपटाने की व्यवस्था नहीं होने से और यहां आने वाली जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होने से स्थिति ज्यादा खतरनाक हो रही है। यहां के निवासियों यहां आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य के साथ–साथ इस क्षेत्र की पवित्रता व सौन्दर्य को बनाये रखने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि पूरे हिमालय क्षेत्र में एक समान सार्वभौम स्वच्छता के मानकों को निर्धारित व क्रियान्वित किये जाने की नीति बने।

20. हिमालयी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े बांधों व सुरंगों वाली पनबिजली परियोजनाओं के स्थान पर छोटी–सूक्ष्म विद्युत उत्पादन वाली ईकाइयों को बढ़ावा देना चाहिए, जिन्हें इस क्षेत्र के बेरोजगार युवा संचालित करें और उनसे उत्पादित

ऊर्जा से ग्राम स्तर पर लघु व गृह उद्योगों का संचालन करें। वर्तमान समय में प्रस्तावित व निर्माणाधीन बड़ी व सुरंग जल विद्युत परियोजनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। उन्हें बंद करके भविष्य में इस प्रकार की परियोजनायें न तो बनाई जायें और न ही निजी कम्पनियों द्वारा संचालित की जायें।

20.1 सौर ऊर्जा के परिवार व ग्राम स्तरीय व्यवसायिक उपयोग की संभावनाओं पर और अच्छी तरह प्रयास होने चाहिए।

20.2 हिमालयी क्षेत्र में पवन ऊर्जा के उचित उपयोग हेतु शोध एवं विस्तृत अध्ययन शुरू करने की आवश्यकता है।

20.3 पानी के प्राकृतिक बहाव व जल प्रपातों पर आधारित पनबिजली ईकाइयों का संचालन स्थानीय लोगों से चर्चा करने के बाद उसका दस्तावेजीकरण व संचालन उनके द्वारा ही करवाना चाहिए। उपरोक्त सभी प्रकार के कार्य हिमालयी क्षेत्र के लोगों द्वारां ही सम्पादित किये जायें।

20.4 घराट जैसी हरित तकनीक को बढ़ावा देकर उससे बिजली उत्पादन सहित अन्य ओद्यौगिक काम लिए जाने हेतु कोई स्पष्ट योजना बने।

21. हिमालय के भूकम्पीय संवेदनशील क्षेत्र में पारम्परिक आवास वहॉ की सम्पूर्ण पर्यावरण व्यवस्था के अनुकूल थे। स्थानीय सामग्री तथा डिजाइन के प्रयोग के कारण बाह्य भवन निर्माण सामग्री जैसे– स्टील व सीमेण्ट का प्रयोग नहीं होता था। वहां एक ऐसी भवन निर्माण नीति की जरूरत है जो स्थानीय डिजाइन व सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दे। भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में भूकंपरोधी भवनों के निर्माण की नीति बने।

22. हिमालय क्षेत्र में पर्यटन की बहुत बड़ी सम्भावनायें हैं। वर्तमान समय में विलासी पांच सितारा पर्यटन स्थल प्राकृतिक संसाधनों की दुर्लभता का ध्यान रखे बिना व स्थानीय लोगों की आवश्यकता पूर्ति की उपेक्षा करके व्यवसायिक काम के लिये संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं। इनका सबसे घिनौना अपराध है कि ये हिमालय के सरल जन समाज की बालिकाओं का पर्यटकों के लिये यौन व्यापार भी कराता है। इस प्रकार का पर्यटन केवल धनपतियों को ही लाभ देता है, आम जन इससे लाभान्वित नहीं होता बल्कि इससे हिमालय की सुन्दर सांस्कृतिक, प्राकृतिक व सामाजिक समृद्धि

नष्ट होती है। अतः यहां की संस्कृति प्रकृति व जन समाज का सम्मान करने वाली ऐसी 'लोक पर्यटन नीति' बनानी चाहिए, जिसका संचालन यहां के स्थानीय वासियों, युवा संगठनों, ग्राम सभाओं व समुदाय द्वारा मिलकर किया जाना चाहिए उनका लाभ यहॉ के आम परिवारों की समानता के आधार पर होना चाहिए।

इस प्रकार के लोक पर्यटन–व्यवस्था के उदाहरण उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों में कहीं – कंही विद्यमान है। पर्यटकों की संख्या नियंत्रित की जाए इसके लिए भूटान का उदाहरण अनुकरणीय है।

23. सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र भीषण प्राकृतिक आपदाओं का गवाह रहा है इसी वर्ष पाकिस्तान की बाढ़, लेह में बादल फटना, उत्तराखण्ड में भूस्खलन जैसी घटनाओं ने सैकड़ों लोगों की जान ली। इसलिए सम्पूर्ण हिमालय के लिए "एकल हिमालयी आपदा प्रबंधन नीति" बनायी जाए।

24. सम्पूर्ण हिमालय के दूरदराज क्षेत्रों में व्यापक संपर्क व सूचना तन्त्र की व्यवस्था हो उसके लिए राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाई जाय।

25. हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं व सरकार द्वारा बनाये जाने वाली विकास परियोजनाओं के कारण जो विस्थापन हो रहा है उसके चलते स्पष्ट पुर्नवास नीति बनाई जानी चाहिए।

26. इन दोनों कानूनों को जनता के अधिकारों तथा जान–माल की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाय, इनको लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर पुर्नपरिभाषित तथा हिमालयी भूगोल को ध्यान में रखकर इनको बनाया जाय।

27. हिमालयी क्षेत्र के विकास कार्यों की योजना बनाने तथा संचालन व संपादन हेतु पृथक हिमालयी योजना आयोग का गठन किया जाय जिसमें हिमालयी भूगोल, समाज एवं संस्कृति के जानकार लोगों को रखा जाय।

28. सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में सभी राजनैतिक दलों को कम खर्चे में अपराध मुक्त तथा साफ सुथरे चुनावों का वायदा करना होगा ताकि भविष्य में मंहगे व अपराधी चुनावों के कारण यहां की प्राकृतिक सम्पदा के लुटने का खतरा न हो।

29. हिमालय–क्षेत्र में विविध प्रकार की वनस्पति और जन्तु–प्रजातियाँ है जिनमें कुछ दुर्लभ हो गयी हैं। उन सबकी जैविक विविधता कायम रखना।

30. पहाड़ों की मुख्य कार्यवाही शक्ति महिलाएं हैं। पिछली आठ पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं हुए हैं, इसलिए प्रत्येक राजनैतिक पक्ष और उम्मीदवार हिमालय क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यक्रमों की प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने का लिखित वचन दें।

31. प्रत्येक गाँव के निकट घास (चारा), लकड़ी (ईंधन) और पानी सुलभ कराने की व्यवस्था होगी,

31.1 अनिवार्यतः शराब बन्दी हो और

31.2 पारिवारिक जीवन की बहाली के लिए, "धार ऐंच पाणी, ढाल पर डाला। बिजली वणावा, खाला–खाला"। (पहाड़ों की चोटी पर पानी, ढालों पर वृक्ष और हर नाले से बिजली बने) को सार्थक करें।

32. इसके संसाधनों पर आधारित है, जिन्हें स्थानीय निवासी संरक्षित रखते है। अतः हिमालय को बचाने व बनाने में स्थानीय निवासियों की भूमिका ही सबसे महत्तवपूर्ण है।

33. एक रिसॉर्स केडिट कार्यविधि की स्थापना हिमालय के विकास की आवश्यकता है। क्योंकि संवेदनशील हिमालय में अन्य विकास सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त कार्यविधि एक आपूत्रि के रूप में कार्य कर सकता है। जिस संसाधन का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति मे लगाया जा सकता है।

34. पारिस्थितिकीय रोजगार अवसर जैसे कि वनीकरण, जल संरक्षण, मृदा प्रबन्धन, वन प्रबन्धन को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि इनसे ही हिमालय की स्थिरता सम्भव है।

35. ग्रामीण रोजगार का स्वरूप स्थानीय संसाधनो को सुदृढ़ करने पर होना चाहिए।

36. हिमालय के संसाधनों की घटती क्षमता पर रपट तैयार होनी चाहिए।

37. हवा मिट्टी, पानी मे स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित कर लम्बी अवधि के लिए मानदेय आपूर्ति तय की जानी चाहिए।

38. ग्रामीण मॉडल पर आधारित एकीकृत ज्ञान का उपयोगकर विभिन्न ग्रामीण उत्पादन व्यवस्थाओं पर कार्य होना चाहिए।

39. विभिन्न मन्त्रालयों को हिमालय के परिपेक्ष्य मे आपसी तालमेल की चर्चा की आहुति होनी चाहिए। यह विभिन्न विकास बाधाओं के निराकरण के लिये आवश्यक होगा। क्योंकि हिमालय की स्थिरता स्थानीय लोगो पर निर्भर करती है। अतः ग्रामीण मन्त्रालय भारत सरकार की मुख्य भागीदारी होनी चाहिए।